न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 36/2018

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 शोभाराम पुत्र गिरधारी।
2 गोरूराम पुत्र गिरधारी समस्त जाति जाट निवासीगण जाखड़ो का बास तन धमोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 सुखदेवाराम पुत्र जोधाराम।
2 महावीर पुत्र गणपत।
3 सुनिल पुत्र सुल्तान।
4 सन्तोष पुत्र सुल्तान।
5 लिछमण पुत्र मानाराम।
6 किशनाराम पुत्र मानाराम।
7 जगदीश प्रसाद पुत्र फूलचन्द।
8 महेन्द्र सिंह पुत्र फूलचन्द।
9 महेश कुमार पुत्र फूलचन्द।
10 रति देवी स्त्री मोहन।
11 संदीप पुत्र मोहन।
12 विजेन्द्र पुत्र मोहन।
13 पुर्ण पुत्र डुंगाराम।
14 सुमित्रा पुत्री हरनन्द।
15 होशियार सिंह पुत्र हरनन्द।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

16 सुभाष कुमार पुत्र हरनन्द।
17 सुनिता पुत्री हरनन्द।
18 औंकार पुत्र डुंगाराम।
19 जगदेव पुत्र डुंगाराम समस्त जाति जाट निवासीगण जाखड़ो का बास तन धमोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
20 तहसीलदार उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 28.02.2018 उनवानी प्रकरण सुखदेवा बनाम फूलचन्द अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट. मु.नु. 235/14 उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी

उपस्थित

1. श्री मुश्ताक अली खान अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–6-2-19

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 235/2014 में पारित निर्णय दिनांक 28.02.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेंट संख्या 01 से 06 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 1239,1240 में से 10 फिट चौड़े रास्ते की मांग की। विचारण न्यायालय ने अप्रार्थीगण का जवाब प्राप्त कर तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया है। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी संख्या 8 व 9 की और से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचाराधीन आवेदन धारा 251ए की परिधि में नही आता है आवेदन में खसरा नम्बर 1239 में से रास्ता चाहा गया है। अपीलांट के खेत में से रास्ता नही चाहा गया है विचारण न्यायालय ने मृतक मोहन व हरनन्द के कायम मुकाम को रिकार्ड पर लिये बिना निर्णय पारित किया है। मृत व्यक्ति के विरूद्व पारित निर्णय विधि विरूद्व है प्रकरण में दो बार मौका रिपोर्ट हुई है जो अपीलांट की गैर मौजुदगी में हुई है। अत अपील स्वीकार की जाकर विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में दिनांक 09.09.2014 एवं 16.02.2018 की दो मौका रिपोर्ट आई है दोनों में रास्ता खुला होना अंकित है विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपील खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा मृत पक्षकार के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना, अपीलांट को सुचना दिये बिना तैयार मौका रिपोर्ट एवं आवेदन में चाहे गये रास्ते के विपरित निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। न्यायहित में विचाराधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि मृत पक्षकार के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेकर समस्त पक्षकारों को सूचित कर तहसीलदार से पुन मौका रिपोर्ट प्राप्त करें तदुपरान्त उभयपक्ष को सुनकर गुणावगुण पर प्रकरण में पुन निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 13.3.2019 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 6.2.19 को सरे इजलास सुनाया गया।

6.2.19

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर